प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1050 सन 2021
अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्रवण पुत्र आदराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रपाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री अंजनी कुमार तिवाडी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 21.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 148/151 की कुल 9.6620हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमण पुत्र गिरधारी के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमण पुत्र गिरधारी में दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी ने अपनी जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपने पौतों के नाम करवाई गई थी वर्तमान में वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी को देहान्त हो चुका है इसलिये वादी के दादा की वसीयत के अनुसार वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी के देहानत होने पर वादीगण वसीयत के अनुसार वाद भूमि के खातदोर काश्तकार हो गये है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी ने अपने जीवन काल में करवाई गई वसीयत के अनुसार वादीगण के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी के देहान्त होने पर कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि जो वादी के दादा ने की गई थी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के दादा के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उनके दादा लिछमण पुत्र गिरधारी ने अपने जीवनकाल में स्वअर्जित अपने हक हिस्सा की वसीयत अपने पौतो के पक्ष में करवाई गई थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी का देहान्त हो चुका है इसलिये वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी के द्वारा करवाई गई जो वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के दादा की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जो शामिल मिसल है तथा मजमे आम में वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी के द्वारा करवाई गई वसीयत की तस्दीक की गई है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी

सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 148/151 कीं कुल 9.6620हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमण पुत्र गिरधारी के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमण पुत्र गिरधारी में दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी ने अपनी जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपने पौतों के नाम करवाई गई थी वर्तमान में वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी को देहान्त हो चुका है इसलिये वादी के दादा की वसीयत के अनुसार वादी के दादा लिछमण पुत्र गिरधारी के देहानत होने पर वादी वसीयत के अनुसार वाद भूमि के खातदेार काश्तकार हो गये है जिसे राजस्व रिकार्ड मं दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की लिछमण पुत्र गिरधारी की वसीयत के अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

किसी खातदेार के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार खातेदार के देहान्त होने के बाद वसीयत के अनुसार किसी प्रकार का विवाद नही होने पाने पर वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का विवाद नही है वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में सहमत है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 148/151 की कुल 9.6620हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमण पुत्र गिरधारी के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वसीयत अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .ललानिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्रवण पुत्र आदराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. इन्द्रपाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1050 सन 2021 निर्णय दिनांक– 21.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 148/151 की कुल 9.6620हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमण पुत्र गिरधारी के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वसीयत अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....ललानिया